

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2420/2026**

अंकित कुमार गौतम आवेदक(ओं)

बनाम

प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य,

.....विपक्षीगण(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : शिवानी मौर्य, अदिति पटेल, मोहम्मद
शादाब सिद्दीकी

विपक्षीगण(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता सुश्री शिवानी मौर्य, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0312/2025, अंतर्गत धारा 115(2), 352, 351(3), 3(5), 105 भारतीय न्याय संहिता, थाना- जैदपुर, जिला- बरबांकी में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 24.11.2025 से जेल में है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सह-आरोपी अमित कुमार कश्यप को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 4.5.2026 को आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 12977/2025 में पारित आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और आवेदक विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि वह भविष्य में किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं होगा। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन वे इस तथ्य से इनकार नहीं करते कि सह-आरोपी अमित कुमार कश्यप को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के परस्पर विरोधी तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्राथमिकी की सामग्री,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों, अपराध की प्रकृति और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. उपरोक्त मामले में, आवेदक - **अंकित कुमार गौतम** - को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा, जिसका उस पर आरोप है या संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, अवर न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, अवर न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता/269 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता/84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारणीय न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता/209 भारतीय न्याय संहिता के तहत विधिवत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक विचारणीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहेगा: (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप निर्धारण और (3) धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता/351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत बयान दर्ज करना। यदि विचारणीय न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारणीय न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध विधिवत कार्यवाही कर सकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

8 जून, 2026

गौरव/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।